न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–437 / 2026

हरेन्द्र सहनी ....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–533 / 2026

सूरज कुमार..आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–625 / 2026

राजीव सहनी वगैरह...आवेदकगण

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1019 / 2026

चंदन सहनी उर्फ चंदन कुमार...आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

लालगंज थाना कांड सं0–46 / 2026

अधीन धारा–121, 121(1), 117(2), 118(2), 109, 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

09.04.2026 लालगंज थाना कांड सं0–46 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–121, 121(1), 117(2), 118(2), 109, 352, 351(2) में गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत आवेदन सं0–437 / 2026 के आवेदक **हरेन्द्र सहनी उम्र–72 वर्ष पेसर–बहादुर सहनी** साकिन–एतवारपुर, थाना–लालगंज, जिला–वैशाली, अग्रिम जमानत आवेदन सं0–533 / 2026 के आवेदक **सूरज कुमार उम्र–24 वर्ष पेसर–हिरा सहनी,** साकिन–एतवारपुर, थाना–लालगंज, जिला–वैशाली, अग्रिम जमानत आवेदन सं0–625 / 2026 के आवेदकगण **राजीव सहनी उम्र–37 वर्ष पेसर–हिरा सहनी, मुन्ना सहनी उम्र–34 वर्ष पेसर–योगेन्द्र सहनी, मंटु कुमार सहनी उम्र–27 वर्ष पेसर–योगेन्द्र सहनी एवं नीतेश कुमार उम्र–28 वर्ष पेसर–सुरेन्द्र सहनी** सभी साकिन–एतवारपुर, थाना–लालगंज, जिला–वैशाली एवं अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1019 / 2026 के आवेदक **चंदन सहनी उर्फ चंदन कुमार उम्र–30 वर्ष पेसर–केदार सहनी,** साकिन–एतवारपुर, थाना–लालगंज, जिला–वैशाली, के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदनों पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता **श्री प्रभाकर शुक्ला व श्री गोनौर राम** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अग्रिम जमानत आवेदनों की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–25.01.2026 को सूचक एवं उसका भाई राजीव कुमार एवं गांव के अन्य 5–6 लोग के साथ मूर्ति विसर्जन करने गए थे और विसर्जन के बाद घाट पर स्नान कर रहे थे कि पूर्व के विवाद को लेकर सूरज कुमार, रामू सहनी, मंटु कुमार सहनी, नितेश कुमार सहनी, मुन्ना सहनी, हरेन्द्र सहनी, दया सहनी, संजय सहनी, रंगनाथ साह, राजीव सहनी, चंदन सहनी एवं अन्य लोग अपने–अपने हाथ में तलवार, कट्टा, भाला, रड, चाकू एवं फट्ठा लिए सभी गाली–गलौज करते हुए अचानक हमला कर दिये और सूरज कुमार कट्टा दिखाने लगा। मंटु कुमार तलवार से जान मारने के नियत से सर पर मारकर जख्मी कर दिया। संजय सहनी आदेश दिया की जान मार दो इस पर सूचक का भाई बचाने लगा तो उसे भी नितेश सहनी तलवार से सर पर काट दिया और रंगनाथ साह तथा राजीव सहनी फरसा चलाया जिससे उसके भाई का हाथ कट गया एवं अन्य सभी लोग लाठी एवं भाला चलाकर ताबड़तोड़

<u>न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।</u>

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—437/2026

हरेन्द्र सहनी ....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—533/2026

सूरज कुमार..आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—625/2026

राजीव सहनी वगैरह..आवेदकगण

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—1019/2026

चंदन सहनी उर्फ चंदन कुमार..आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

लगातार

09.04.2026 घायल कर दिये। चंदन सहनी एवं मुन्ना सहनी रड से दोनों भाई को मार कर जख्मी कर दिया और धमकी दिया कि केस करोगे तो जान से मार देंगे।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में पुरानी दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। आवेदक हरेन्द्र सहनी एवं सूरज कुमार के विरूद्ध लालगंज थाना कांड संख्या—193/2023 अंतर्गत धारा—341, 323, 354, 427, 504, 506/34 भारतीय न्याय संहिता लंबित है जिसमें वह जमानत पर है और शेष आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढन्त है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदनों का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिस पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ गाली—गलौज कर सूचक एवं उसके भाई को तलवार से जान मारने के नियत से सर पर मारकर जख्मी करने, सूचक के भाई का फरसा से हाथ काट देने, सूचक एवं उसके भाई को रड से मारकर जख्मी करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 08, 09, 10 एवं 11 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 30 एवं 31 से विदित होता है कि उक्त कांड में दो लोगों को जख्म कारित हुई है जिसमें जख्मी निरज कुमार (सूचक) के जख्म को चिकित्सक द्वारा उसके सर के पिछले हिस्से में लगभग 2 इंच x ¼ इंच की त्वचा की गहराई तक कटा हुआ घाव पाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म एवं जख्मी राजीव कुमार के जख्म को चिकित्सक द्वारा सर पर लगभग 1 इंच x ½ इंच की त्वचा की गहराई का कटा हुआ घाव पाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–437/2026

हरेन्द्र सहनी ....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–533/2026

सूरज कुमार...आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–625/2026

राजीव सहनी वगैरह..आवेदकगण

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1019/2026

चंदन सहनी उर्फ चंदन कुमार..आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार

09.04.2026 कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। प्राथमिकी अनुसार इस मामले के आवेदक मंटु कुमार सहनी पर सूचक के सर पर तलवार से मारकर जख्मी करने एवं आवेदक नितेश कुमार पर सूचक के भाई को तलवार से मारकर सर जख्मी करने का विशिष्ट आरोप है और शेष आवेदकगण पर कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण **हरेन्द्र सहनी, सूरज कुमार, राजीव सहनी, मुन्ना सहनी** एवं **चंदन सहनी उर्फ चंदन कुमार** को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आवेदकगण **हरेन्द्र सहनी पेसर–बहादुर सहनी, सूरज कुमार पेसर–हिरा सहनी, राजीव सहनी पेसर–हिरा सहनी, मुन्ना सहनी पेसर–योगेन्द्र सहनी** एवं **चंदन सहनी उर्फ चंदन कुमार पेसर–केदार सहनी** को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

शेष आवेदक मंटु कुमार सहनी पर सूचक के सर पर तलवार से मारकर जख्मी करने एवं आवेदक नितेश सहनी पर सूचक के भाई को तलवार से मारकर सर जख्मी करने का विशिष्ट आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका 30 एवं 31 से विदित होता है कि जख्मी निरज कुमार (सूचक) के जख्म को चिकित्सक द्वारा उसके सर के पिछले हिस्से में लगभग 2 इंच x ¼ इंच की त्वचा की गहराई तक कटा हुआ घाव पाया गया है एवं जख्मी राजीव कुमार के जख्म को चिकित्सक द्वारा सर पर लगभग 1 इंच x ½ इंच की त्वचा की गहराई का कटा हुआ घाव पाया गया है और उक्त दोनों जख्मियों के जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है और उक्त जख्म उसके शरीर के संवेदनशील अंग पर है।

मामले के उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों, लगाये गये आरोप की प्रकृति, आवेदकगण के आचरण तथा वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदकगण मंटु कुमार सहनी एवं नितेश कुमार को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन सं0–625/2026 के आवेदक सं0–03 **मंटु कुमार सहनी पेसर–योगेन्द्र**

<u>न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।</u>

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0–437 / 2026</u>

हरेन्द्र सहनी ....आवेदक

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0–533 / 2026</u>

सूरज कुमार..आवेदक

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0–625 / 2026</u>

राजीव सहनी वगैरह..आवेदकगण

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1019 / 2026</u>

चंदन सहनी उर्फ चंदन कुमार...आवेदक

बनाम्

<u>बिहार सरकार</u>

<u>लगातार</u>

09.04.2026 **सहनी** एवं आवेदक सं0–04 **नितेश कुमार पेसर–सुरेन्द्र सहनी** का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है। आवेदकगण मंटु कुमार सहनी एवं नितेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण कर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत हेतु प्रार्थना करें। विद्वान विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि आवेदकगण का जमानत आवेदन पर इस न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना विधि सम्मत आदेश पारित करें।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

<u>न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।</u>

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0—437 / 2026</u>

हरेन्द्र सहनी ....आवेदक

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0—533 / 2026</u>

सूरज कुमार..आवेदक

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0—625 / 2026</u>

राजीव सहनी वगैरह..आवेदकगण

<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0—1019 / 2026</u>

चंदन सहनी उर्फ चंदन कुमार..आवेदक

बनाम्

<u>बिहार सरकार</u>

आदेश पर नियत की तिथि	09.04.2026
आदेश की तिथि	09.04.2026
अपलोड करने की तिथि	15.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web Copy not Official